न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 502/2018 निर्णय दिनांक :–29.11.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. रामनिवास पुत्र किशना जाति धाकड़ निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. प्रसन्न पुत्री किशना जाति धाकड़ निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. विमल पुत्र खाना जाति धाकड़ निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. शंकर पुत्र खाना जाति धाकड़ निवासी गुराई तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रतिपक्षीगण–

–उपस्थिति –

श्री राजेन्द्र जैतरवाल
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजियात हाल खाता संख्या 333 ख0नं0 450 रकबा 1.56 है0, भूमि वाके तनग्राम गुराई तहसील दूनी में स्थिति है। प्रार्थीगण ही सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है और काश्त करता चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित भूमि में एक कुंए का निर्माण करवा रखा है जिससे प्राथ्रीगण अपनी उक्त वर्णित भूमि को सिंचित करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि एवं कुएं से अथवा उसके किसी भी भू–भाग से अप्रार्थीगण का कोई लोना–देना एवं संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण धनबलशाली राजनीतिक पहुंच वाले वयक्ति है एवं अप्रार्थीण की निर्धनता का अनुचित लाभ उठाकर लठ के जोर पर प्रार्थीण्गण की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है और अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थगण के उपयोग–उपभेग में बाधा उत्पन्न करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि में स्थित कुंए से पानी जबरन लेकर अपनी अन्य भूमियों को सिंचित करने का प्रयास करते है। प्रार्थीगण ने पूर्व में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के आदेश से अपनी उक्त वर्णित भूमि की दिनांक 03.07.2018 को पत्थरगढी करवाई थी परन्तु अप्रार्थीगण अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से पत्थरगढी के पत्थरो को उखाड़ कर फेक दिया है। हाल ही में प्रार्थीगण उक्त आराजी को हांकने के लिए मौके पर गये जो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उक्त आराजी में घुंसने नही दिया और जबरन प्रार्थीगण की भूमि में हांक जोतने पर आमादा हो गये सभी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को ऐलानिया जान से मारने की धमकिया दी कि प्रार्थीगण में दम है तो जमीन है तो जमीन काश्त करके बताये। प्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे उक्त अतिक्रमण के प्रयास को नही रोका गया तो अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की जमीन व कुएं पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लेगा तथा प्रार्थीगण को उनकी भूमि से वंचित कर बेदखल कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से की जाना संभव नही हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिए ऐजेन्ट नोकर चाकर या पारिवारिक सदस्यों से प्रार्थीगण की भूमि व कुएं पर जबरन कब्जा काश्त कर प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, प्रार्थीगण को उक्त आराजी में फसल काश्त करने, हांकने जोतने, कुएं से सिंचाई करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थीगण के साथ लडाई–झगडा नही करे तथा पाबंद रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 में केवल मात्र वाद पत्र पेश करना स्वीकार है शेष गलत है अस्वीकार है प्रथम दृष्टिया प्रकरण सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रतिप्रतिपक्षीगण के पक्ष में सिद्ध एवं प्रबल है। प्रार्थना पत्र चरण नम्बर 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थीगण का कब्जा नही ह प्रतिपक्षीगण ने स्वयं के खर्चे से उक्त खसरा नम्बर में कुआ खुदवा रखा है और उक्त कुऐं के पास उत्तरी दिशा की तरफ डोल लगा रखी है जो खसरा नम्बर 451 की मेर है, सेटलमेन्ट में गलत रूप से उक्त कुआं प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है प्रार्थीगण उक्त कुऐं से अपनी खातेदारी की जमीन को सिंचित नही करते है। विकय पत्र का चरण नम्बर 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। विवादित कुए से प्रार्थीगण का कोई सम्बंध नही है प्रतिपक्षीगण ने काफी पैसा लगाकर उक्त कुएं का निर्माण किया है दिनांक 03.07.2018 को जो पत्थरगढी करवायी थी उसके पत्थर आज भी गढे हुए है यदि प्रतिपक्षीगण ने उनको उखाड दिया था तो प्रार्थीगण को उनके खिलाफ सम्बंधित थाने में फौजदारी प्रकरण दर्ज कराना चाहिए था। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। मुलाहेजा हो विशेष आपत्तिया। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। विवादग्रस्त कुऐं से हप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण को विवादित कुएं पर अप्रार्थीकण को पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। **विशेष आपत्तियां**–आराजी खसरा नम्बर साबिक 593 रकबा 21 बीघा भूमि ग्राम गुरई में किशना, जगन्नाथ , काना पिसरान चन्द्रा धाकड की खातेदारी मे दर्ज थी जिसका अंकन जमाबंदी संख्या 2025 से 2028 में है उक्त भूमि पर चन्द्रा के तीनो पुत्रों का हिस्सा बराबर अर्थात 7–7 बीघा पर कब्जा चला आ रहा है चन्द्रा के द्वारा बांटे गये हिस्से पर आज पक्षकारान मौके पर काबिज है। पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार मूल खातेदार किशना, जगन्नाथ काना के वारिसान के नाम कुल 21 बीघा में से 7–7 बीघा जमीन की रिकार्ड में दर्ज की जान चाहिए थी एवं इसी के अनुसार नक्शा शीट में तरमीम की जानी चाहिए। जगन्नाथ के वारिसान को 1.75 है0 के स्थान पर 1.74 है0 भूमि की खातेदारी दी गई है इसी प्रकार प्रतिवादीगण 1.75 है0 के स्थान पर 1.80 है0 भूमि खातेदारी मे दर्ज करदी गयी इसी प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी में 1.75 हे0 की जगह 2.06 हे0 भूमि दर्ज करदी गइ है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते में 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है। मूल खसरा नम्बर 593 का कुल रकबा 21 बीघा था जिसकी पुरानी

शीट मे भू–प्रबंध द्वारा कोई तरमीम नही की गयी तथा बाद में अलग–अलग बंटा नम्बर की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत् 2046 में नये खसरा नम्बर 424, 426, 425, 450, 451 की नई तरमीम की गई जो मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित है। प्रार्थीगण को सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 450 व 425 है की भूमि दी जाकर वास्तविक रकबे मे से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि बडा दी गई है तथा वर्तमान शीट में इस बडे हुए रकबे को नये खसरा नम्बर 450 में मिला दिया तथ खसरा नम्बर 450 का बढाया हुए रकबा भूमि की मौके की स्थिति की तरमीम खसरा नम्बर 451 की मौके पर स्थित भूमि में कर दी गई इस प्रकार सेटलमेन्ट द्वारा की गई तरमीम से प्रतिपक्षीगण की भूमि खसरा नम्बर 451 की गलत रूप से खसरा नम्बर 450 में शामिल कर दी गई जबकि मौके पर प्रति पूर्वजो के समय से ही काबिज चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य अपने अपने खेतो पर मेर बन्दी हो रखी है। प्रतिपक्षीगण ने उनकी खातेदारी के खसरा नम्बर 451 मे स्थित कुए को गलत रूप से शीट में तरमीम कर खसरा नम्बर 450 मे मिला देने के कारण उक्त कुए को अपनी खातेदारी मे लगाने के लिए प्रार्थीगण के खिलाफ दावा उद्घोषणा का माननीय न्यायालय मे पेश कर रखा है जो विचाराधीन है उक्त वाद में प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा ट्रेस में ए–बी–सी–डी शब्द दर्शाया गये स्थान को खातेदारी की घोषणा चाही है उक्त कुए को प्रतिपक्षीगण ने लाखो रूपये लगवाकर खुदवाया है जो जिसका उपयोग उपभाग प्रतिपक्षीगण अपनी खातेदारी के खेतो को सिंचित करने में ले रहा है। प्रार्थीगण उक्त कुए से कोई कब्जा नही है उसकी जमीन विवादित कुए से सिंचित नही होती है मौके पर प्रार्थीगण का उक्त कुए पर कब्जा नही है। कब्जे के अभाव में उनका प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि ख. नं. 450 प्रार्थी के हिस्से की भूमि है और बंटवारे के समय से ही उक्त भूमि को प्रार्थीगण ही कब्जेकाश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण ने ख. नं. 450 में स्थित कुंए को खुदवाया है परन्तु अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आने के कारण प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त में मजामहत करने लगे है और कुएं पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। इस बाबत पुलिस थाना नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है परन्तु अप्रार्थीगण धनबलशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने के कारण प्रार्थीगण को मारपीट कर उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते है जो अनैतिक व अमानवीय है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त ख. नं. 450 में स्थित कुंआ अप्रार्थीगण ने खुदवाया है और अपनी फसलो की सिंचाई इसी कुएं से करते आ रहे है। सेटलमेन्ट के बाद तरमीम गलत होने से यह कुंआ ख. नं. 450 में आ गया जबकि यह कुंआ ख. नं. 451 में स्थित था जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाकर प्रतिवादीगण को इस कुंए का सिंचाई के रूप में उपयोग उपभोग नही करने देना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित है, नैतिकता से परे है। यदि प्रतिवादीगण अपनी फसलो की सिंचाई नहीं कर पाये तो उनकी खेत पड़त रह जायेंगे जिससे उनको भारी नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में कथन किया कि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि कुंआ इन्होने खुदवाया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार ख. नं. 450 रकबा 1.56 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के करण अप्राथीगण संख्या 1 ता 2 को पाबन्द करवाने के हकदार है। अतः अप्रार्थीगण 1 ता 2 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 333 ख0नं0 450 रकबा 1.56 है0, भूमि वाके तनग्राम गुराई तहसील दूनी प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग, फसल काश्त करने, हांकने जोतने व कुंए में सिंचाई करने में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे। ताफैसलावाद पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मुल दावे के पृष्ठ में संलग्न हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली